मनोरंजन कर विभाग
रायबरेली

1. कार्य एवं कर्तव्य

शासन द्वारा विभिन्न आमोदो के आयोजन की अनुमति प्रदान करने तथा राजस्व के तौर पर मनोरंजन कर की वसूली।

2. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति एवं कर्तव्य

		संख्या
जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारीः–	जिला मनोरंजन कर अधिकारी	01
कर्मचारी :–	मनोरजन कर निरीक्षक	02
	मनोरंजन कर लिपिक	01
	उर्दू अनुवादक	01
	अनुसेवक	01

जिला मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यरत मनोरंजन कर निरींक्षको के कार्यो का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा विभिन्न आमोदों को विभागीय नियमावली के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट से इनके आयोजन की अनुमति हेतु औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) के माध्यम से पत्रावली प्रस्तुत की जाती है तथा आमोदो से मनोरंजन कर की वसूली सुनिश्चित कराई जाती है।

मनोरंजन कर निरीक्षकों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के आमोदों का निरीक्षण तथा उनसे प्राप्त होने वाले मनोरंजन कर की नियमानुसार वसूली एवं आमोदों में प्राविधानित नियमों का अनुपालन कराया जाता है।

मनोरंजन कर लिपिकों द्वारा समस्त अभिलेखों का रख–रखाव, प्रार्थयना पत्रों के प्राप्त होने पर सम्बंधित से निस्तारण कराने एवं अधिकारी कर्मचारी के विभन्न प्रकार के भत्तों एवं वेतन आदि के बिलो को तैयार करके भुगतान कराये जाने का कार्य सम्पन्न कराया जाता है।

अनुसेवक द्वारा कार्यालय सम्बंधी डाक को यथा सम्बंधित को प्राप्त कराने एवं लिपिक के साथ सामन्जस रखकर कार्यालय को समयानुसार खोलने एवं बन्द करने का कार्य करना होता है।

3,4– निर्णय लिये जाने सम्बंधी प्रक्रिया, कार्य के माप दण्ड एवं जिम्मेदारी :–

विभागीय कार्यो में मुख्यतयः सिनेमाओं, अस्थाई सिनेमाओं, वीडियों लाब्रेरी के लाइसेन्स एवं केबिल प्रदर्शन की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बंधी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट को की जाती है। समस्त मामलों में विभागीय निरीक्षकों की आख्या प्राप्त होने के पश्चात् जिला मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति अपर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति हेतु भेजी जाती है। उक्त प्रक्रिया में मनोरंजन कर लिपिक, निरीक्षक व जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर की आख्या हेतु जिम्मेदार होते है।

(कृ0प0उ0)

5. कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन हेतु नियमावली, अधिनियम के सम्बन्ध में:–

विभाग द्वारा विभिन्न आमोदों जैसे सिनेमा, केबिल, वीडियों, टूरिंग सिनेमा तथा वीडियों लाइब्रेरी के प्रदर्शन की अनुमति एवं इनसे मनोरंजन कर की वसूली हेतु निम्नलिखित नियम/अधिनियम का प्रयोग किया जाता है:–

नियम	अधिनियम
उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951	उत्तर–प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979
उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली 1981	उत्तर–प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम 1955
उत्तर प्रदेश वीडियों नियमावली 1988	
उत्तर प्रदेश केबिल द्वारा प्रदर्शन नियमावली 1997	

6. विभाग का जनपद स्तर पर अभिलेखों के रख–रखाव का विवरण :–

1– प्रस्तर 5 में वर्णित नियमावली/अधिनियम के अतिरिक्त समस्त विभागीय शासनादेश व परिपत्र
2– सभी संचालित स्थाई/अस्थाई सिनेमाओं,, वीडियों सिनेमाओं, वीडियों/सी.डी. कैसेट लाईब्रेरी, केबिल नेटवर्क सेन्टरों की पत्रावली।
3– मनोरंजन कर जमा करने सम्बन्धी परिशिष्ट 1 व 2
4– कार्यालय व्यय व स्टाक रजिस्टर, उपस्थित पंजिका व शिकायत पंजिका।

7. विभागीय अधिकारी/कर्मचारी का विवरण:–

कार्यालय :– कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष सं0 7में स्थित है।

1. जिला मनोरंजन कर अधिकारी – श्री अभय चन्द्र आर्य
2. मनोरंजन कर निरीक्षक – श्री एस0 के0 बाजपेयी
3. मनोरंजन कर निरीक्षक – श्रीमती संगीता कुमारी
4. मनोरंजन कर लिपिक – श्री के0 के0 सिंह
5. उर्दू अनुवादक /स0क0लि0 – श्री सैयद अहमद
6. अनुसेवक – श्री पुष्पलता अवस्थी

8. मासिक वेतन आदि का विवरण:–

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	वेतन	महॅगाई भत्ता	वाहन भत्ता	मकान भत्ता	50% महॅगाई वेतन	योग
1.	श्री अभय चन्द्र आर्या	6700.00	2412.00	350.00	455.00	3350.00	13267.00
2.	श्री एस0 के0 बाजपेई	6125.00	2205.00	350.00	455.00	3063.00	12198.00
3.	श्रीमती संगीता कुमारी	5250.00	1890.00	–	340.00	2625.00	10105.00
4.	श्री के0 के0 सिंह	4500.00	1620.00	–	–	2250.00	8370.00
5.	श्री सैयद अहमद	3950.00	1422.00	–	285.00	1975.00	7632.00
6.	श्रीमती पुष्पलता अवस्थी	2660.00	958.00	–	190.00	1330.00	6138.00

(कृ0प0उ0)

9. वर्ष 2006–2007 हेतु आवंटित बजटः–

1. वेतन	रूपया	3,63,900.00
2. महॅगाई भत्ता	रूपया	1,42,910.00
3. महॅगाई वेतन	रूपया	1,82,000.00
4. अन्य भत्ता	रूपया	25,800.00
5. कार्यालय व्यय	रूपया	3,000.00
6. लेखन सामाग्री	रूपया	2,000.00
7. यात्रा भत्ता	रूपया	15,000.00
योग	रूपया	7,41,610.00

10. शासन द्वारा नये सिनेमा/मल्टीप्लेक्स खोले जाने हेतु कर छूट के सम्बन्ध में निम्नलिखित शासनादे ा निर्गत किये गये है :–

1. शासनादेश संख्या 1409 दिनॉक 11 अगस्त 2000 के अन्तर्गत 5 वर्षो तक मनोरंजन कर में छूट प्रदान की गयी है।
2- शासनादेश संख्या 2226/11 क0नि0 6.2001–बीस.आर(12)/98. टी0सी0 दिनॉक 12.11.2001 द्वारा मल्टीप्लेक्स सिनेमाओं के निर्माण तथा 5 वर्षो तक कर छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत किया गया। उक्त योजना दिनॉक 31.03.2005 तक लागू थी जिसे बढ़ाकर दिनॉक 31.03.2010 तक कर दिया गया है।

11. जन सूचना अधिकारी का नाम व पद नाम :–

जनपद स्तर पर श्री अभय चन्द्र आर्य जिला मनोरंजन कर अधिकारी, रायबरेली को मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जनसूचना अधिकारी नामित किया गया है।

12. जनपद में संचालित विभिन्न आमोदों का विवरण :–

1. स्थाई सिनेमाओं की संख्या	10
2. अस्थाई सिनेमाओं की संख्या	03
3. अस्थाई वीडियों सिनेमाओं की संख्या	02
4. वीडियों/सी0डी0 कैसेट लाईब्रेरी की संख्या	84
5. केबिल आपरेटरों की संख्या	39

उपरोक्त आमोदों की संख्या परिवर्तनीय है।

नोट :– विभाग से सम्बन्धित सूचनाऐं किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से भाांय 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है ।